सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-395/2022 **दिनांक- 29-नवम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

धर्मान्तरण कराने वाले 09 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/ इतिहास की विवरण संक्षेप में- वादी श्री विशाल पुत्र गुड्डू ग्राम ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के सूचनानुसार दिनाँक 28.11.2022 को कुछ लोगो द्वारा चककोट (चकहवेली) कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़ में जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी के घर में इसाई मिशनरियों द्वारा लोगो को बहला- फुसलाकर धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है वादी द्वारा मौके पर देखे जाने पर ज्ञात हुआ कि एक केरल का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम बीनू रघुनाथ (संचालक) व अपने सहयोगियों साथ मिलकर ईसाई धर्म से सम्बन्धित किताबे तथा पोस्टर से लोगो को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। वादी द्वारा विरोध करने पर उसे भी लालच का प्रोलभन देते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। उक्त लोग एक गिरोह बनाकर इसाई धर्म में परिवर्तित कराते हैं। जिसके सम्बन्ध मे वादी द्वारा लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 248/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि बिरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी ग्राम चककोट(चकहवेली) कस्बा सरायमीर थाना सरामयीर जनपद आजमगढ़ 2. बीनू रघुनाथ पुत्र अज्ञात पता अज्ञात व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

2.गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 29.11.2022 को उ0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी के घर वहद ग्राम चक कोट कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से अभियुक्ततों जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी आदि 09 नफर को समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 02 अदद पुस्तक बाईविल तथा ईसाई धर्म में परिवर्तन हेतु 15 फार्म मय संलग्न भरा हुआ व 05 फार्म बिना भारा (सादा) व 02 गवाही के प्रा0 पत्र बरामद हुआ। जिन्हें नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरणः-

1-02 अदद पुस्तक बाईविल, ईसाई धर्म में परिवर्तन हेतु 15 फार्म मय संलग्न भरा हुआ,

2- 05 फार्म बिना भरा (सादा) व 02 गवाही के प्रा0 पत्र

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 248/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि बिरुद्ध धर्म परिर्वतन प्रतिषेध अधिनियम 2021

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जितेन्द्र राम पुत्र गिरधारी निवासी चक कोट थाना सरायमीर आजमगढ़
2. बीनू रघुनाथ (संचालक) पुत्र पप्पू रघुनाथ निवासी बेस्ट कल्डा थाना सास्ताम कोटा जनपद कोल्लम (केरल) हाल मुकाम पादरी ब्रेसली ई0का0 चौक आजमगढ़
3. राजकिशोर मुन्डा पुत्र स्व0 कुंजर मुण्डा निवासी इंटीसेरेंग थाना सोनाहातू जनपद रांची झारखण्ड
4. अखिलेश कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. रामराज पुत्र स्व0 सहंगु राम निवासी गाहुखोर थाना सरायमीर आजमगढ़
6. श्रवण भारती पुत्र सुघरराम निवासी माधोपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया
7. दिनेश चन्द पुत्र हजारीलाल निवासी परागपुर थाना फत्तेपुर जनपद बाराबंकी
8. सुरेन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 बेचन प्रकाश निवासी कोप पोस्ट कुरेम निवासी रसड़ा जनपद बलिया
9. पिन्टू मसीह पुत्र फुलचन्द मसीह निवासी ककरी थाना नगर जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का0 सुधांशु सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का0 ऋषभ शुक्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. का0 रामसहाई पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. का0 मुशाहिद रजा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या के वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- वादी मुकदमा श्री राकेश पाठक S/O सीताराम पाठक निवासी ग्रा0व पो0 नसिरुद्दीनपुर त0 सदर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के तहरीरी सूचना बावत स्वंय की बहन चन्दन पाठक उम्र 25 वर्ष जिसकी शादी ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज आजमगढ मे राहुल पाण्डेय के साथ हुई थी। पति व ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करना,दहेज न मिलने पर आवेदक की बहन चन्दन पाठक को दिनांक 24.11.2022 को समय

18.30 बजे शाम मे हत्या कर देने के सम्बन्ध मु0अ0स0 290/22 धारा 498A,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.राहुल पाण्डेय (पति)पुत्र स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 2. इन्दू पाण्डेय(सास) पत्नी स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 3.सुन्दरी उर्फ प्रतिमा(ननद) पुत्री स्व0 पारसनाथ पाण्डेय 4. अन्पूर्णा पाण्डेय पत्नी श्रीभगवान पाण्डेय निवासीगण ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था । पूर्व में 02 अभियुक्त गिरफ्तार हैं।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 29.11.2022 को थाना प्रभारी दीदारगंज विजय प्रताप सिंह मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता अन्नपूर्णा पाण्डेय पत्नी श्रीभगवान पाण्डेय उम्र करीब 33 वर्ष ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्ता के घर ग्राम गोसडी से दबिश देकर समय करीब 06.45 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 290/22 धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अन्नपूर्णा पाण्डेय पत्नी श्रीभगवान पाण्डेय उम्र करीब 33 वर्ष ग्राम गोसडी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना सिधारी,आजमगढ़

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–वादिनी थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता सादी सराय थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी बावत प्रतिवादी गण द्वारा वादिनी के साथ मारपीट करना गाली गलौज देना तथा जान से मारने की धमकी देना, उत्पीडन करना व बलात्कार करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/2022 धारा 323/504/506/498ए/376 भादवि बनाम उत्तम तिवारी पुत्र रामबुझारत तिवारी निवासी फिदायी गनेशपुर, हंसवर अम्बेडकर नगर हाल पता न्यू कालोनी बस्ती जमालपुर थाना सिधारी,आजमगढ़ व 05 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.11.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त उत्तम तिवारी पुत्र रामबुझारत तिवारी निवासी फिदायी गनेशपुर, हंसवर अम्बेडकर नगर उम्र करीब 30 वर्ष को अतरौलिया बस स्टैण्ड से समय 08.10 सुबह बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 385/2022 धारा 323/504/506/498ए/376 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- *मुकदमा उपरोक्त*

गिरफ्तार अभियुक्त

1-उत्तम तिवारी पुत्र रामबुझारत तिवारी निवासी फिदायी गनेशपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

2.कां0 अमानत अली थाना सिधारी आजमगढ़

3.कां0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

4.महिला कां0 संयोगिता कुशवाहा थाना सिधारी आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- सिधारी

82 सीआरपीसी की नोटिस घर पर चस्पा

पूर्व की घटना - दिनांक 18.2.2021 को तत्कालीन स्वाट टीम प्र0नि0 श्री आनन्द कुमार राय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गांजे की तस्करी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर हाफिजपुर पहुँचे जहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दिये। जिन्हें संदिग्ध होने पर रोका गया तो उपरोक्त लोग भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2021 धारा 34/307 भादवि बनाम 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम, 3. लालू पुत्र शिवनाथ साकिनान जानकीपुरम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद

यादव पुत्र राजेन्द्र यादव साकिन बसही जरमेजपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़, 5. जिलाजीत पुत्र स्व0 विदेश राम साकिन तहबरपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 मिथलेश कुमार तिवारी द्वारा की गयी। विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण श्रीकान्त व उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.2.2021 को किता कर धारा 34/307 भादवि में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभियुक्त के कब्जे से 50 किलोग्राम नाजायज गांजा व एक होन्डा सीटी कार नं0 MH02AP9588 तथा एक अदद मोटर साइकिल पल्सर नं0 UP64E1655 व एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दी कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम श्रीकान्त राय आदि उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 उमाशंकर द्वारा किया गया। विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त बरामदगी व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण श्रीकान्त राय व उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.4.2021 को किता कर धारा 8/20 NDPS एक्ट में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक 11.6.2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा भादों मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध गांजे के साथ कुछ व्यक्ति मोटर साइकिल UP50BF8453 से आये। उक्त लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसपर थाना दीदारगंज में मु0अ0सं0 98/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजकुमार यादव द्वारा किया गया। स्थानान्तरण उपरान्त विवेचना उ0नि0 सच्चन राम द्वारा विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त बरामदगी/साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त श्रीकान्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.6.2020 को किता कर धारा 8/20 NDPS एक्ट में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

गैंगलीडर श्रीकान्त राय पुत्र स्व. राधेश्याम राय निवासी जानकपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ उम्र 36 वर्ष व इसके गिरोह के सदस्य जो शातिर किस्म के अपराधी है। इनका एक संगठित गिरोह है यह अपना गिरोह बनाकर संगठित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है । स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्य बदल-बदल कर आये दिन अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये, संगठित आर्थिक अपराध कारित करते रहते है , इनका जनता में काफी भय व्याप्त है । इनके भय से जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध किसी प्रकार की सूचना व गवाही देने की साहस नही करता है । इनके द्वारा भारतीय दंण्ड विधान के अध्याय 16 में वर्णित अपराधो को करने के अभ्यस्त अपराधी है इनके गैंग के कृत्यो पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु तात्कालीन प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी आजमगढ़ से अनुमोदित कराने के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0- 128/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. लालू पुत्र शिवनाथ, 3. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम साकिनान जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ उक्त मुकदमें में फरार चल रहे थे तथा जानबूझ कर लुक छिपकर रह रहे हैं।

दिनांक 28.11.2022 को थाना कोतवाली आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. लालू पुत्र शिवनाथ, 3. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम साकिनान जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरूद्ध मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.11.2022 को जारी कुर्की की उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी का तामीला प्रभारी निरीक्षक सिधारी नन्द कुमार तिवारी मय हमराही फोर्स द्वारा नियमानुसार अभियुक्तगणों के घर पर जाकर ग्रामवासियों के समक्ष नोटिस की प्रति को उनके घर के मुख्य द्वार के सदृश्य स्थान पर चस्पा करके किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी आदि की कार्यवाही करायी गयी एवं 82 सीआरपीसी के प्रति को सार्वजनिक स्थान, स्कूल, पंचायत भवन व मा0न्यायालय के प्रवेश द्वार पर नियमानुसार चस्पा किया गया।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय

1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
3.मु0अ0सं0-20/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़
4.मु0अ0सं0- 98/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़

लालू पुत्र शिवनाथ-

1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

पीयूष राय पुत्र राधेश्याम

1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव

1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़